

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमशे सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 82/25 ( विविध प्रार्थना पत्र )

जीसीएमएस नम्बर : 2025/291

1. श्रीमती जसोदा पत्नी श्यामलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री श्यामलाल पिता छगनलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्री नाथुलाल पिता स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
4. श्री लोकेश पिता स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्री ओमप्रकाश पिता स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती कमलाबाई पत्नी स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्री प्रर्मिला पुत्री स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती कान्ता पिता स्व. गोटुलाल जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
10. श्री चन्द्रप्रकाश पिता स्व. जगदीश जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क निवासी मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
11. सुश्री नेहा पुत्री स्व. जगदीश जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती हेमलता पत्नी स्व. जगदीश जी जाति गुरु, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री जीवनलाल पिता नाथु जी जाति लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री देवीलाल पिता भमरीया जी लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्री मांगीलाल पिता नाथु जी लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
4. श्री श्यामलाल पिता सुरतमल जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्री ओंकारलाल पिता गोर्धन जी लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)



6. श्री किशन पिता भेरूलाल उर्फ भेरा जी लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्री प्रकाशचन्द्र पिता डालचन्द्र जी लोहार जाति लोहार, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्री भेरूलाल पिता खेमा जी जाति जाट, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
9. श्री मांगु पुत्र गोकल जी जाति जाट, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
10. पटवारी पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला-उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री जगपाल सिंह बगावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।  
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

#### निर्णय

**दिनांक : 08.10.2025**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-मावली तहसील मावली, जिला-उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2604, 2606 किता 2 कुल रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया संख्या-1 के नाम पर स्वतन्त्र खातेदार की हैसियत से दर्ज है। आराजी नम्बर 4813/2605 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी संख्या-2 के नाम पर स्वतन्त्र खातेदार की हैसियत से दर्ज है। आराजी नम्बर 2605 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या-3 से लगायत 12 तक के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है। आराजी नम्बर 2607 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 से लगायत 12 तक के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर-2603 व 4089/2602 (जो विपक्षी संख्या-5, विपक्षी संख्या-7 व 6 के हिस्से व खातेदारी की) पश्चिम दिशा में आराजी नम्बर-2630, 2631, 2632, 2633 (जो विपक्षी संख्या-1, 2 व 3 के हिस्से व खातेदारी की), उत्तर दिशा में आराजी नम्बर-2608, 2601, 2595, (जो विपक्षी संख्या-8 विपक्षी संख्या 9 व 6 के हिस्से व खातेदारी की) एवं दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर-2888, 2889, (जो विपक्षी संख्या-4 के हिस्से व खातेदारी की) एवं आराजी नम्बर-2639 जो विपक्षी संख्या-11 किस्म रास्ता आपस में सटमा होने से विपक्षी

सख्या-1 से 3 सीमा को लेकर आये दिन हम प्रार्थीगण से विवाद करते रहते हैं जिसका विपक्षी सख्या-1 से लगायत 3 को कोई अधिकार नहीं है।

3. यह कि विपक्षी सख्या-1 से लगा कर 3 के उपरोक्त कृत्य से प्रार्थीगण परेशान रहते हैं, चूंकि हम प्रार्थीगण शांति प्रिय व्यक्ति व महिला हैं तथा विपक्षी सख्या-1 से लगायत 3 रोज रोज सरहद को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करते रहते हैं. इसलिये हम प्रार्थीगण की स्वामित्व की भूमि एवं विपक्षी सख्या-1 से लगायत 11 के स्वामित्व की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना-पत्र की कलम सख्या-3 में किया गया है के मध्य पक्की पुख्ता पत्थर गढ़ी कराना आवश्यक है, ताकि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सख्या-1 से लगायत 3 के मध्य रोज-रोज होने वाले व्यर्थ के विवादों को रोका जा सकें।
4. यह कि हम प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.04.2025 को तहसीलदार मावली अर्थात् विपक्षी सख्या 11 के समक्ष प्रस्तुत उक्त वर्णित भूमि की सीमा जानकारी कराने का आवेदन किया जिस पर विपक्षी सख्या-11 द्वारा विपक्षी सख्या-10 पटवारी पटवार हल्का मावली को सीमा जानकारी कराने हेतु आदेशित किया. उक्त आदेश की पालना में पटवारी पटवार हल्का मावली दिनांक-22.04.2025 को मौके पर आये किन्तु मौके पर विवाद होने की संभावना की स्थिति होने से पटवारी साहब ने सीमा जानकारी करने से इन्कार कर दिया एवं पत्थर गढ़ी का आदेश न्यायालय आपसे लाकर पत्थरगढ़ी कराने हेतु कहा, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक-22.04.2025 को पैदा होने से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा है।
5. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के स्वतन्त्र स्वामित्व की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना-पत्र की कलम सख्या-1 में किया गया है, के पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में स्थित विपक्षी सख्या-1 से लगायत 11 की कृषि भूमि के मध्य पक्की पुख्ता पत्थर गढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे एवं विपक्षी सख्या-1 से लगायत 11 को इस बात के लिये पांबद किया जावे की वे हम प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि में कोई दखलन्दाजी नहीं करें तथा मुझे मेरी भूमि का शांति पूर्वक उपयोग, उपभोग करने दें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 4 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 10 व 11 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 3 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा द्वारा पेश किया गया। जवाब के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 277 पर दर्ज आराजी नम्बर 2604, 2606 किता 2 कुल रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 902 पर दर्ज आराजी नम्बर 4813/2605 किता 1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 188 पर दर्ज आराजी नम्बर 2605 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 2607 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 9 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी भूमि की नपती करवाकर पत्थरगड़ी करवाना चाहते हैं। इससे विपक्षी संख्या 1 से 9 के हक अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी सहखातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जावेगी तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य मौके पर विवाद नहीं रहेगा। जिससे अनावश्यक मुकद्दमेबाजी भी नहीं बढेगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रुपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 277 पर दर्ज आराजी नम्बर 2604, 2606 किता 2 कुल रकबा 0.4775 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 902 पर दर्ज आराजी नम्बर 4813/2605 किता 1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 188 पर दर्ज आराजी नम्बर 2605 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 2607 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी/सहखातेदार एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
9. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

( रमेश सीरवी पुनाडिया ) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी मावली  
जिला उदयपुर